राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— प. 6 (252) परि/कर/मु./2008 / 16138 जयपुर, दिनांकः 22/8/16

कार्यालय आदेश 30/2016

विषय :— एकमुश्त कर जमा कराये जाने वाले वाहनों पर देय कर एवं वसूली के संबंध में दिशा—निर्देश।

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(ग) में परिवहन यानों पर एकमुश्त कर लागू किये जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2014 को एवं इसके पश्चात् पंजीयन/पुनः पंजीयन होने वाले समस्त टैक्सी, मैक्सी वाहनों तथा 3000 किग्रा. से अधिक एवं 7500 किग्रा. तक के सकल यान भार के भार वाहनों पर एकमुश्त कर की देयता अनिवार्य की गई थी। पुनः दिनांक 09.03.2015 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 01.04.2007 से 14.07.2014 तक पंजीकृत होने वाले उक्त श्रेणी के सभी वाहनों पर एकमुश्त कर की देयता अनिवार्य की गई थी। इन वाहनों को दिनांक 09.06.2016 तक पूर्ण एकमुश्त कर जमा कराया जाना आवश्यक था। दिनांक 08.03.2016 को अधिसूचना जारी कर 13 सीट तक की बैठक क्षमता वाले निजी सेवायान तथा 7500 किग्रा. से अधिक 12000 किग्रा. तक के सकल यान भार वाले भार वाहनों पर जो कि दिनांक 01.04.2007 एवं इसके पश्चात् पंजीकृत हुये है पर एकमुश्त कर की देयता अनिवार्य की गई है। उक्त अधिसूचनाओं के जारी होने के पश्चात् वाहन स्वामी एकमुश्त कर की देय राशि एक बार में अथवा वाहन की पंजीयन तिथि से 1 वर्ष की अवधि में 6 समान किस्तों में भी जमा करा सकता है।

ऐसा देखा गया है कि दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 14.07.2014 तक पंजीकृत हुये वाहनों जिनकों दिनांक 09.06.2016 तक पूर्ण एकमुश्त कराना आवश्यक था एवं इसके पश्चात् पंजीकृत हुये उक्त श्रेणी के वाहन स्वामियों जिन्होनें देय एकमुश्त कर राशि 6 समान किस्तों में जमा कराने का विकल्प दिया है द्वारा देय किस्तों का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01.04.2007 के पश्चात् उक्त श्रेणियों में कुल 1,08,000 वाहन पंजीकृत हुये है। इन वाहनों में से लगभग 29,000 वाहनों पर एकमुश्त कर की काफी राशि बकाया देय है।

अतः उक्त राजस्व की हानि को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है—

1. पजीयन एवं कराधान अधिकारियों को टैक्सी/मैक्सी वाहनों के मामलों में सही संख्या का आंकलन कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। वर्तमान में बडी संख्या में दिनांक 01.04.2007 से पंजीकृत टैक्सी/मैक्सी वाहनों का गैर परिवहन यान में पुनःपंजीयन करावाया जा चुका है। इससे कर बकाया टैक्सी/मैक्सी वाहनों की सही संख्या ज्ञात हो सकेगी।

2. कराधान अधिकारी एकमुश्त कर की राशि नहीं जमा करा रहे वाहनों की सूची तैयार कर क्षेत्रवार संबंधित परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक को इस देय राशि की वसूली हेतु उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वाहनवार वसूली हेतु परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक को टैक्स रिकवरी ऑफिसर बनाकर इनके मध्य वाहनों का आवंटन कर वसूली हेतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।

3. एकमुश्त कर बकाया वाहनों की सूची तैयार कर वाहन मालिकों के पते पर नोटिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायें। जिन वाहन मालिकों का पता उपलब्ध नहीं है अथवा रिकार्ड में उपलब्ध पते से मेल नहीं खाता है उन वाहनों के डीलर से वाहन मालिकों का पता एवं अन्य विवरण प्राप्त किया जाकर परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक को उपलब्ध कराया जाये।

4. उपरोक्त श्रेणी के वाहनों की विशेष रूप से सघन जांच कराई जाये एवं चैकिंग के दौरान एकमुश्त कर की देय राशि के जमा नहीं पाये जाने पर वाहन को नियमानुसार जब्त किया जावे।

5. एकमुश्त कर बकाया वाहनों की सूची तैयार कर इस सूची का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाये।

6. राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत कर जमा करानें में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

(आर.सी. यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (कर)

क्रमांकः– प. 6 (252) परि/कर/मु./2008 /16139-45 जयपुर, दिनांकः 22/8/2011

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)